

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल (म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दां०प्र०क०-267 / 07
संस्था०दि० 26 / 12 / 02
फाईलनं.233504000032002

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन.

--: विरुद्ध :-

1. नीरज पिता स्व० श्री जे०एन० श्रीवास्तव, उम्र 53 वर्ष,
जाति कायस्त, पेशा नौकरी, नि० शंकर नगर भोपाल,
जिला भोपाल (म०प्र०)
2. भगवानदास व चंदूमल (फरार)

-----अभियुक्तगण.

--: निर्णय :-

(आज दिनांक- 30 / 08 / 2016 को घोषित)

1- अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा-409, 420, 482, 483, 120(बी), 34 के अंतर्गत अभियोग है कि आपने दिनांक 11.09.2000 के पूर्व या संबंधित अवधि में आमला मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर लोक सेवक होते हुये कारोबार के अनुक्रम में प्रकाश व्यवस्था हेतु अपने में न्यस्त राशि का छद्म नाम की कंपनी सीमा के वेपर लेम्प खरीदकर बेईमानी पूर्वक किये षडयंत्र की पूर्ति में उक्त राशि का दुरुपयोग कर लिया, जो अपने उपयोग में समपरिवर्तित कर लिया तथा नगर पालिका की ओर से विधि अनुसार अपने द्वारा वेपर लेम्प खरीदी की संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी पूर्वक उक्त राशि का उपयोग व्ययन किया, जानबूझकर अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा करना सहन किया। इसी दिनांक के पूर्व या संबंधित अवधि में मुख्य नगरपालिका आमला के पद पर लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुये परिषद की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार निर्धारित कंपनी ई०सी०ई० की विधुत सासमग्री के अलावा छद्म नाम सीमा कंपनी के वेपर लेम्प खरीदने की षडयंत्र की पूर्ति में करीब 10 लाख या संबंधित राशि के चैक का भुगतान बेईमानी पूर्वक अन्य आरोपी को सदोष लाभ पहुँचाने के लिए दर्शित कर फर्जी दस्तावेज तैयार किये। इसी दिनांक के पूर्व या संबंधित अवधि में, अपने नगर पालिका आमला के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर लोक सेवक होते हुये कार्य करते समय वेपर लेम्प छद्म नाम की कंपनी के खरीदने के आशय से आपूर्ति में जानते हुये कि सीमा कंपनी के वेपर लेम्प नहीं है,

मिथ्या संपत्ति चिन्ह अंकित है, का उपयोग असल के रूप में कपट करने के आशय से लिया। इसी दिनांक के पूर्व या संबंधित अवधि में आमला, नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के लाक सेवक पद पर कार्य करते हुये यह जानते हुये कि अन्य आरोपीगण द्वारा विक्रय की गयी संपत्ति सीमा कंपनी की नहीं है, छद्मदम कंपनी की है उनके द्वारा संपत्ति चिन्ह के कूटकरण कर उपयोग में लाये। इसी दिनांक को पूर्व या संबंधित अवधि में नगर पालिका आमला में मुख्य नगर पालिका अधिकारी लोक सेवक के पद पर कार्य करते हुये प्रकाश व्यवस्था हेतु वैपर छद्मदम नामक कंपनी के खरीदने का अवैध कार्य की अवैध साधनों से संपत्ति चिन्ह के कूटकृत्य संपत्ति को उपयोग में लाने अपने में न्यस्त नगर पालिका की धनराशि का बेईमानी पूर्वक दुरुविनियोग करने हेतु छद्मदम कंपनी के वैपर लैम्प खरीदने की सहमति अन्य आरोपी के साथ में मिलकर बनायी और उक्त कार्य अवैध साधनों द्वारा किया।

2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि नगर पंचायत मुलताई एवं नगर पालिका आमला में विधुत सामग्री की खरीदी में वित्तीय अनियमिताओं की शिकायत होने पर जांच श्री आर.सी. चांदवानी अनुविभागीय अधिकारी मुलताई से करायी गई। अनुविभागीय अधिकारी मुलताई द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत नगर पालिका आमला एवं नगर पंचायत मुलताई में विधुत सामग्री की खरीदी में घोर अनियमितता होना एवं शासकीय राशि का दुरुपयोग होना पाये जाने से प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा दोषियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने बाबत निर्देशित किया गया। अतः उपनिरीक्षक धीरेन्द्र बाजपेयी के द्वारा दिनांक 11/08/2000 को आदिम जाति कल्याण थाना बैतूल के द्वारा अपराध क्रं. 0/2000 धारा 420, 406 भा0द0वि0 के तहत तत्काली सी0एम0ओ0 नगर पंचायत मुलताई के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर असल कायमी हेतु मुलताई भेजने पर असल अपराध क्रं. 220/2000 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

3— उक्त अपराध 0/2000 की एफ.आई.आर. के साथ कलेक्टर बैतूल का पत्र क्रं. 62/14 दिनांक 10/08/2000 से अनुविभागीय अधिकारी मुलताई के पत्र दिनांक 06/08/2000 का प्रतिवेदन से तत्कालीन सी0एम0ओ0 नगर पालिका आमला द्वारा विधुत सामग्री खरीदने में अनियमितता धोखाधड़ी शासकीय राशि का गबन पाए जाने से घटना स्थल थाना आमला का अपराध क्रं 0/2000 धारा 420, 406 भा0द0वि0 का पजीबद्ध किया गया, जो थाना आमला से असल कायमी विवेचना हेतु ट्रांसफर किया गया। जिसके आधार पर थाना प्रभारी एच.एल. शर्मा के द्वारा असल अपराध 174/2000 अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 420,406 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

4— विवेचना के दौरान सहायक उपनिरीक्षक एस0एल0 धाकड़ के द्वारा दिनांक 21/08/2000 को सम्पत्ति जप्ती कर सम्पत्ति जप्ती प्र0पी0 1 बनाया। थाना प्रभारी एच.एल. शर्मा के द्वारा दिनांक 25/08/2000 को सम्पत्ति जप्त कर सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 2, प्र0पी0 3, प्र0पी0 4 बनाया। दिनांक 26/08/2000 को सम्पत्ति जप्त कर सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 5 बनाया। दिनांक 14/09/2000 को सम्पत्ति जप्ती कर सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 7 बनाया। दिनांक 21/09/2000 को सम्पत्ति जप्त कर सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 6 बनाया। दिनांक 28/08/2000 को

सम्पत्ति जप्त कर सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 13 बनाया। दिनांक 16/09/2000 को सम्पत्ति जप्त कर सम्पत्ति जप्ती पत्रक बनाया। दिनांक 20/01/2001 को सम्पत्ति जप्त कर सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 9 बनाया। दिनांक 25/08/2000 को सम्पत्ति जप्त कर सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 8 बनाया। दिनांक 20/01/2001 को अभियुक्त नीरज को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। विवेचना पूर्ण कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र दिनांक 26/12/2001 को न्यायालय में पेश किया।

5— प्रकरण में धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण के दौरान अभियुक्त ने अपने सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रकरण में बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:—**

1— “आपने आपने दिनांक 11.09.2000 के पूर्व या संबंधित अवधि में आमला मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर लोक सेवक होते हुये कारोबार के अनुक्रम में प्रकाश व्यवस्था हेतु अपने में न्यस्त राशि का छद्म नाम की कंपनी सीमा के वैपर लैम्प खरीदकर बेईमानी पूर्वक किये षड्यंत्र की पूर्ति में उक्त राशि का दुरुपयोग कर लिया, जो अपने उपयोग में समपरिवर्तित कर लिया तथा नगर पालिका की ओर से विधि अनुसार अपने द्वारा वैपर लैम्प खरीदी की संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी पूर्वक उक्त राशि का उपयोग व्ययन किया, जानबूझकर अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा करना सहन किया?”

2— “इसी दिनांक के पूर्व या संबंधित अवधि में मुख्य नगरपालिका आमला के पद पर लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुये परिषद की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार निर्धारित कंपनी ई0सी0ई0 की विधुत सासमग्री के अलावा छद्म नाम सीमा कंपनी के वैपर लैम्प खरीदने की षड्यंत्र की पूर्ति में करीब 10 लाख या संबंधित राशि के बैंक का भुगतान बेईमानी पूर्वक अन्य आरोपी को सदोष लाभ पहुँचाने के लिए दर्शित कर फर्जी दस्तावेज तैयार किये।

3— “इसी दिनांक के पूर्व या संबंधित अवधि में, अपने नगर पालिका आमला के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर लोक सेवक होते हुये कार्य करते समय वैपर लैम्प छद्म नाम की कंपनी के खरीदने के आशय से आपूर्ति में जानते हुये कि सीमा कंपनी के वैपर लैम्प नहीं है, मिथ्या संपत्ति चिन्ह अंकित है, का उपयोग असल के रूप में कपट करने के आशय से लिया?”

4— “इसी दिनांक के पूर्व या संबंधित अवधि में आमला, नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के लोक सेवक पद पर कार्य करते हुये यह जानते हुये कि अन्य आरोपीगण द्वारा विक्रय की गयी संपत्ति सीमा कंपनी की नहीं है, छद्म कंपनी की है उनके द्वारा संपत्ति चिन्ह के कूटकरण कर उपयोग में लाये। इसी दिनांक को पूर्व या संबंधित अवधि में नगर पालिका आमला में मुख्य नगर पालिका अधिकारी लोक सेवक के पद पर कार्य करते हुये प्रकाश व्यवस्था हेतु वैपर छद्म नामक कंपनी के खरीदने का अवैध कार्य की अवैध साधनों से संपत्ति चिन्ह के कूटकृत्य संपत्ति को उपयोग में लाने अपने में

न्यस्त नगर पालिका की धनराशि का बेईमानी पूर्वक दुरुविनियोग करने हेतु छद्म कंपनी के वैपर लैम्प खरीदने की सहमति अन्य आरोपी के साथ में मिलकर बनायी और उक्त कार्य अवैध साधनों द्वारा किया।

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :—

—: विचारणीय प्रश्न क० 01 से 04 का निराकरण

7— सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं. 1 से 4 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हों।

8— अभियोजन साक्षी बंशीलाल पंवार (अ०सा०-1), अभियोजन साक्षी नारायण देशमुख (अ०सा०-2), अभियोजन साक्षी मुकेश (अ०सा०-3), अभियोजन साक्षी बाबुराव (अ०सा०-4), अभियोजन साक्षी चक्रेश कुमार जैन (अ०सा०-5), अभियोजन साक्षी संजय (अ०सा०-6), अभियोजन साक्षी शंकरलाल (अ०सा०-7), अभियोजन साक्षी गणेश प्रसाद (अ०सा०-8), अभियोजन साक्षी राजेन्द्र यादव (अ०सा०-9), अभियोजन साक्षी गुलाबराव देशमुख (अ०सा०-10), अभियोजन साक्षी शारदा (अ०सा०-11), अभियोजन साक्षी सुभाष देशमुख (अ०सा०-12), अभियोजन साक्षी मोहम्मद सफी खान (अ०सा०-13), अभियोजन साक्षी महेश सोनी (अ०सा०-14), अभियोजन साक्षी वहीद खान (अ०सा०-15), सतीष नरवरे (अ०सा०-16), अभियोजन साक्षी बबन कुम्हारे (अ०सा०-17), अभियोजन साक्षी राजेश झा (अ०सा०-18), अभियोजन साक्षी सुनिल कुमार जैन (अ०सा०-19), अभियोजन साक्षी मनोज मालवे (अ०सा०-20) एवं अभियोजन साक्षी दाउराम महेश्वर (अ०सा०-21) की साक्ष्य न्यायालय में पेश की गई है। प्रकरण में फरियादी आर०सी० चंद्रवानी, साक्षी गुलाबराव, बी०एल० सहरवार, मनीराम, गोविन्द, शंकर, उमेश, चंद्रशेखर मोदी, शिवप्रसाद, जी०पी० पाठक, अशोक कुमार, उप०नि० धीरेन्द्र बाजपेयी, सहायक उपनिरीक्षक एसल.एल. धाकड़ विवेचना अधिकारी एस.एल. शर्मा की साक्ष्य पेश नहीं की गई है। उनकी उपस्थिति के लिए न्यायालय की ओर से थाना प्रभारी आमला, पुलिस अधीक्षक बैतूल को आवश्यकता से अधिक बार ज्ञापन सहित गिरफ्तारी वारंट अंतिम अवसर प्रदान किया गया, उसके पश्चात् भी पेश नहीं की गई है। उसके पश्चात् दिनांक 10/08/15 को पुलिस महानिदेशक म०प्र० भोपाल के माध्यम से उक्त गवाहों को गिरफ्तारी वारंट अंतिम अवसर के साथ ज्ञापन सहित जारी किया गया है, जो कि प्रकरण में संलग्न है। उसके पश्चात् भी उक्त साक्षियों को न्यायालय में पेश नहीं किया गया है और यह भी निर्देशित किया गया है कि प्रकरण में जो भी प्रभाव होगा उसकी जवाबदेही थाना प्रभारी आमला और पुलिस अधीक्षक बैतूल की होगी।

धारा 409, 420 भा०द०वि० का निष्कर्ष

9— धारा 409 भा.द.वि. के अपराध को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक है कि उक्त अपराध किसी लोक सेवक द्वारा जिसे उसके लोक सेवक के रूप में कोई संपत्ति न्यस्त की गई हो, उसके संबंध में ऐसे लोक सेवक द्वारा न्यायास भंग किया गया हो। इसी तरह धारा 420 भा.द.वि. के अपराध के लिए आवश्यक है कि उक्त

अपराध कारित करने में आरोपी द्वारा छल कारित किया गया हो, और छल कारित करते हुये उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया हो बेईमानी से उत्प्रेरित किया जाये कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को प्रदत्त कर दे या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित हो, जिसे मूल्यांकन प्रतिभूति में सम्परिवर्तित किया जा सकता हो पूर्णतः या अंशतः रच दें।

10— भा0द0वि0 की धारा 482 यह उपबंधित करती है कि जो कोई मिथ्य सम्पत्ति चिन्ह का उपयोग करेगा, जब तक यह साबित न कर दे कि उसने कपट करने के आशय के बिना कार्य किया है। भा0द0वि0 की धारा 483 यह उपबंधित करती है कि जो कोई किसी सम्पत्ति चिन्ह का जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, कूटकरण करेगा।

11— प्रकरण में यह अविवादित है कि आरोपीगण लोकसेवक है और प्रश्नगत अपराध उनके द्वारा अपने लोक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किया जाना अभिकथित है तथा प्रश्नगत अपराध की प्रकृति इस प्रकार की है कि वह उसके पदीय कर्तव्यों से युक्तियुक्त संबंध रखता है, जैसा की आरोप पत्र से स्पष्ट है। अतः यहां सर्वप्रथम आरोपी को अभियोजन किये जाने के पूर्व क्या धारा 197 द0प्र0सं0 के प्रावधानों के अनुसार समुचित प्राधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक था या नहीं, इस पर सर्वप्रथम विचार किया जाना विधिसंगत होगा। इस संबंध में आरोपी की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **D.T.Virupakshappa Vs C. Subash 2015 Cri L.R. 354 S.C.-** प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि आरोपी मामले के किसी भी प्रक्रम पर धारा 197 द0प्र0सं0 की मंजूरी के संबंध में आक्षेप उठा सकता है तथा प्रश्नगत अपराध आरोपी के पदीय कर्तव्य से युक्तियुक्त जुड़ा हुआ हो, वहां बिना अभियोजन चलाने की मंजूरी प्राप्त किये बिना आरोपित अपराध के संबंध में संज्ञान लिया जाना उचित नहीं है। इस तरह न्याय दृष्टांत **नीलम गांधी वि. लालजीराम बदकूर 2013 (3) एम.पी. डब्ल्यू.एन. नोट नं. 18** प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि जहां आरोपी नगर पालिका का अपना पदीय कर्तव्य निर्वहन कर रहा था। ऐसी स्थिति में उसे अभियोजित करने के लिए मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक माना गया तथा अभियोजन चलाने की अनुज्ञा के अभाव में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद निरस्त किया गया। इसी तरह न्याय दृष्टांत **ओ.पी.सिधानिया वि. स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2010 किमिनल लॉ जनरल 2351** प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बिना अभियोजन चलाने की अनुज्ञा के आरोपी के दोषसिद्धी को निरस्त किया गया, इसी तरह न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ एम.पी. वि. शितला सहाय एवं अन्य 2009 किमिनल लॉ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट 752 एवं 2009 किमिनल लॉ जनरल 4436 सुप्रीम कोर्ट** प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि आरोपी को अभियोजित करने के पूर्व धारा 197 द.प्र.सं. के तहत मंजूरी प्राप्त किया जाना आवश्यक था।

12— इसी तरह न्याय दृष्टांत **अंजनी कुमार वि. स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य 2008 (4) काईम्स 202 (एससी)= 2008 एस.सी.सी. (5)248= ए.आई.आर. 2008 एस.सी. 1992= किमिनल ला जनरल 2558** प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्चतम

न्यायालय द्वारा पदीय कर्तव्य को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार पदीय कर्तव्य से तार्प्य कोई कार्य अथवा कर्तव्य जो लोकसेवक द्वारा अपने लोक हैसियत से किया गया हो तथा ऐसे कार्य के उन्मोचन के दौरान कोई कार्य का लोप आवश्यक रूप से किया गया हो तथा यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या प्रश्नगत अपराध लोक सेवक के पदीय कर्तव्य से जुड़ा हुआ है या नहीं, यदि उसका उत्तर हाँ तो ऐसे लोक सेवक को अभियोजित करने के पूर्व धारा 197 द0प्र0सं0 के तहत मंजूरी आवश्यक है। इसी तरह न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ उडिसा वि. गणेश चन्द्र जेव ए.आई. आर. 2004 सुप्रीमकोर्ट 2179= किमिनल लॉ जनरल 2011(एससी)= 2004 (2) काईम 404 (एस.सी.)** प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि कोई भी न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत अभियोजन की अनुज्ञा के बिना अभियोजित किये जाने वाले मामले पर संज्ञान नहीं लेगा तथा यह प्रावधान आज्ञापक है। इस तरह प्रस्तुत मामले में अभियोजन के अनुसार जब प्रश्नगत अपराध किया गया है उस समय आरोपी लोक सेवक थे तथा उनके द्वारा प्रश्नगत अपराध अपने लोक कर्तव्य के निर्वहन करते हुये किया गया है तथा प्रश्नगत अपराध आरोपी के पदीय कर्तव्य से परस्पर जुड़ा हुआ है, प्रश्नगत अपराध को आरोपी के पदीय कर्तव्य से पृथक किया जाना प्रस्तुत मामलों में संभव दिखाई नहीं पड़ रहा है।

13— अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आरोपी ने मामले के विचारण के दौरान यह बचाव नहीं लिया है कि उन्हें अभियोजित करने के पूर्व विधि अनुसार धारा 197 द.प्र.सं. के तहत मंजूरी नहीं ली गई है अतः आरोपी अब मामले के अंतिम प्रक्रम में वे आपत्ति नहीं ले सकते। अभियोजन की उक्त आपत्ति आरोपी की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **D.T.Virupakshappa Vs C. Subash 2015 Cri L.R. 354 S.C.-** के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृति किये जाने योग्य नहीं है। प्रकरण में राज्य की ओर से इस न्याय दृष्टांत **यूपी राज्य वि. पारस नाथ सिंह 2009 किमिनल लॉ. जनरल 3069 एस.सी.** का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि इस न्याय दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में आरोपी के विरुद्ध अभियोजन के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्याय दृष्टांत वाले मामलों में आरोपी द्वारा अपने कर्तव्य के दौरान कूट रचना की गई थी जिस पर से उसके विरुद्ध धारा 409 का मामला पंजीबद्ध किया गया था, जो कि प्रस्तुत मामले से भिन्न है तथा इस मामले पर लागू नहीं होते हैं। इसी तरह राज्य की ओर से न्याय दृष्टांत **प्रकाश सिंह बादल वि. पंजाब ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 1274** का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि आरोपी के विरुद्ध अभियोजन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। चूंकि उक्त न्याय दृष्टांत वाला मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम नहीं होती परंतु प्रस्तुत मामला उक्त एक्ट के अंतर्गत नहीं है। अतः उक्त न्याय दृष्टांत प्रस्तुत मामले पर लागू नहीं होते।

14— अभियोजन साक्षी बंशीलाल पवार (अ0सा01) एवं नारायणराव (अ0सा02) ने सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 1 पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, किन्तु सूचक प्रश्नों में उनके सामने आरटीकल ए1 का रजिस्ट्रर जप्त किया था, को अस्वीकार किया है और प्रतिपरीक्षा में व्यक्त किया है कि जिस कागज पर हस्ताक्षर किए थे वह किस तारिख, माह, सन् को बना था और किस संबंध में बना था, वह भी उसे आज याद

नहीं है। इस प्रकार उक्त दोनों गवाहों ने सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 1 का समर्थन नहीं किया है।

15— अभियोजन साक्षी महेश (अ0सा03), अभियोजन साक्षी बाबुराव (अ0सा04) उक्त दोनों गवाहों ने सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 2,3 एवं 4 पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। किन्तु सूचक प्रश्नों में उनके सामने सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 2,3 व 4 की जप्ती होने से अस्वीकार किया है और प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि प्र0पी0 2,3,4 पर उसने उसके हस्ताक्षर एक ही समय एक ही स्थान पर किए थे। आगे यह भी व्यक्त किया है कि उन प्रपत्रों पर मैं क्या लिखा है उसे उसकी जानकारी नहीं है। आगे यह भी स्वीकार किया है कि जिन कागजात पर हस्ताक्षर है वह कागजात किस संबंध में बने हैं उसकी उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार उक्त दोनों गवाहों ने सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 2,3,4 का समर्थन नहीं किया है।

16— अभियोजन साक्षी चक्रेश कुमार जैन (अ0सा05) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वर्ष 2000 व 2001 में नगर पालिका आमला में उपयंत्री के पद पर पदस्थ था। उसी समय नीरज श्रीवास्तव भी सी0एम0ओ0 के पद पर पदस्थ थे। उसे आज याद नहीं है कि उस समय पुलिस ने नगर पालिका में कार्यवाही की थी। सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। सूचक प्रश्नों में प्र0पी0 4 की सम्पत्ति होने को अस्वीकार किया है एवं प्र0पी0 5 के ए से ए भाग के कथन देने को भी अस्वीकार किया है। आगे इस गवाह ने प्र0पी0 4 के मुताबिक आरटीकल 2ए एवं आरटीकल 3 की नस्तिर्याँ जप्त की थी, अस्वीकार किया है। आगे गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि उसके जानकारी में नगर पालिका द्वारा विधुत सामाग्री खरीदने का कोई आदेश नहीं दिया था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने कोई आडर माल सप्लाई का नहीं किया गया था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि आरटीकल 2ए एवं आरटीकल 3ए में हस्ताक्षर हैं उसमें क्या लिखा है उसे नहीं मालूम। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 में व्यक्त किया है कि नगर पालिका आमला में बल्फो ट्यूब लाईटों पर कंपनी की सील लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

17— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में स्वीकार किया है कि नगर पालिका आमला के द्वारा खरीदी गई सम्पत्ति का भुगतान का चेक नगर पालिका आमला के अध्यक्ष और सी0एम0ओ0 के हस्ताक्षर से खरीदा गया था। आगे यह भी व्यक्त किया है कि उसम समय राजेश झा नगर पालिका आमला के अध्यक्ष थे। माल सप्लाई करने वाले की संपूर्ण जवाबदारी एम0के0 मार्केटिंग भोपाल वाले की थी। अगर माल में कोई छल या हेराफेरी की गई हो तो वह एम0के0 मार्केटिंग भोपाल का काम है। इस प्रकार इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित किए जाने का तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

18— अभियोजन साक्षी संजय (अ0सा06) ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न से सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी05 का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी गणेश प्रसाद (अ0सा08) ने भी अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्नों एवं प्रतिपरीक्षा से सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 6 का समर्थन नहीं किया है। उसी प्रकार राजेन्द्र यादव (अ0सा09) ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न और प्रतिपरीक्षा से सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी08 का

समर्थन नहीं किया है। उसी प्रकार अभियोजन साक्षी गुलाबराव देशमुख (अ०सा०१०) ने मुख्यपरीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र०पी० 9 का समर्थन नहीं किया है।

19— अभियोजन साक्षी शंकरलाल (अ०सा०-7) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह वर्ष 1977 से लेकर 2014 में अलग-अलग पदों में पदस्थ रहा है। आज से लगभग 15 वर्ष पहले लाइट परिषद द्वारा खरीदी गई थी, उसमें पता लगा कि एस. डी.एम. साहब जांच के लिए आए थे, बाद में यह भी पता चला कि सामग्री वगैरह की जप्ती एस०डी०एम० साहब ने किया था। जप्ती पत्रक प्र०पी० 6 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे यह जानकारी नहीं है कि क्या हुआ था और किसने क्या किया था। इस गवाह ने सूचक प्रश्नों में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 में स्वीकार किया है कि संचनालय नगरी प्रशासन भोपाल से विधुत सामाग्री खरीदने के लिए राशि जारी होती है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में स्वीकार किया है कि नगर परिषद आमला में कोई सामग्री खरीदने के पहले परिषद में पहले प्रस्ताव होते हैं। आगे यह भी व्यक्त किया है कि प्रस्ताव पास होने के बाद नगर पालिका द्वारा खरीदी का आदेश दिया जाता है। यह भी स्वीकार किया है कि नगर पालिका आमला में अलग-अलग विभाग का प्रभारी व्यक्ति है। आगे यह भी व्यक्त किया है कि विधुत सामग्री नगरपालिका आमला में आई थी वह भंडारपाल सुनिल जैन थे जिन्होंने सामग्री प्राप्त की थी। आगे यह भी स्वीकार किया है कि भुगतान का चेक जो बनता है उसके उपर नगर पालिका अध्यक्ष एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं।

20— आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने सामग्री नहीं देखी थी। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि संबंधित सामाग्री विषय में उसको कोई कार्य कार्य नहीं था न ही उसके संबंध में उसके कोई जानकारी है। आगे यह भी व्यक्त किया है कि परिषद द्वारा जो प्रस्ताव पास किये जाते हैं उसके आधार पर सी०एम०ओ० आदेश देते हैं। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि आदेश के बाद प्राप्त होने वा माल संबंधित विभाग के इंचार्ज के पास जाकर रिपोर्ट आती है। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि एस०डी०ओ०पी० मुलताई द्वारा उसके समक्ष कोई जांच नहीं की गई थी। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि विधुत सामाग्री में क्या गड़बड़ी थी इसकी उसे जानकारी नहीं है। आगे गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 10 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि सी०एम०ओ० नीरज श्रीवास्तव के द्वारा विधुत सामाग्री की खरीदी में कोई छल नहीं किया था। आगे प्रतिपरीक्षा की कंडिका 11 में व्यक्त किया है कि सी०एम०ओ० नीरज श्रीवास्तव द्वारा राशि का व्ययन किया। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 12 में व्यक्त किया है विधुत सामग्री का आदेश देने में खरीदी करने में उसका भुगतान करने में सी०एम०ओ० नीरज श्रीवास्तव ने कंपनी से मिलकर कोई षडयंत्र नहीं किया। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि सी०एम०ओ० द्वारा राशि भुगतान करने की कोई बेईमानी नहीं की। आगे यह भी व्यक्त किया है कि उक्त सामाग्री खरीदने पर में नीरज श्रीवास्तव द्वारा कोई छल या कपट नहीं किया। आगे यह भी व्यक्त किया है कि उससे कोई जप्ती नहीं हुई थी।

21— आगे यह स्वीकार किया है कि उसके दस्तखत जिस जप्ती पर बताए

जा रहे उसमें क्या लिखा है उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार इस गवाह ने संपूर्ण अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त नीरज श्रीवास्तव के द्वारा शासकीय सम्पत्ति में न्यस्त था और उसके द्वारा उक्त सम्पत्ति में न्यस्त रहते हुये कूट रचना की। और उक्त राशि को सदोष लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज तैयार किए और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर एक लोक सेवक होते हुये सीमा कंपनी के वैपर बल्फ नहीं है मिथ्य सम्पत्ति चिन्ह अंकित है, का उपयोग असल के रूप में कपट करने के आशय से लिया और मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर रहते हुए अन्य आरोपीगण द्वारा विक्रय की गई सम्पत्ति सीमा कंपनी की नहीं है, छद्म कंपनी की है उसके द्वारा सम्पत्ति चिन्ह के कूटरचना कर उपयोग में लाए।

22— अभियोजन साक्षी शारदा (अ0सा0-11) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह आरोपी नीरज श्रीवास्तव को जानती है। वह नगर पालिका में सी0एम0ओ0 के पद पर थे। वह डी0आर0 महेश्वर को नहीं जानती है। जब वह थाने में एस0सी0एम0 थी तब नगर पालिका के लाईट के संबंध में एक एफ.आई.आर. हुई थी उस समय उसके प्रभारी शर्माजी थे उसके सामने बल्फ की जप्ती नगर पालिका से लाकर थाने में हुई थी जिसका जप्ती पत्रक प्र0पी0 13 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

23— आगे इस गवाह ने सूचक प्रश्न में स्वीकार किया है दिनांक 28/08/2000 को थाना आमला के मालखाना से डी0आर0 महेश्वर तहसीलदार से जप्ती पत्रक प्र0पी0 13 के मुताबिक खड्डे के कार्टून जिस पर ई0सी0ई0 250 वॉट एवं ई0सी0ई0 150 वॉट लिखा था। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि आज वह यह नहीं बता सकती कि उन डिब्बों के अंदर सील बंद सुतली चपडों से होकर तहसीलदार की हस्ताक्षर पर्ची लगी हुई थी तब डब्बे के अंदर 250 वॉट के बल्फ एवं 150 वॉट के सोडियम बल्फ ई0सी0ई0 कंपनी के थे तथा उन पर ई0सी0ई0 कंपनी के अलावा सीमा कंपनी की सील लगी होना बताया जा रहा था।

24— आगे सूचक प्रश्न की कंडिका 3 में यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने डब्बों को खोला गया था उसमें से बल्फ निकले थे वह यह नहीं बता सकती कि डब्बों से जो बल्फ निकाले गये थे उस पर लाल रंग की सील कंपनी की सील तथा सिलवर कलर की एक सील जो बारिकी से देखने पर सीमा कंपनी की लगी दिखाई देती थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में व्यक्त किया है कि थाना आमला के मालखाने में कार्टून कहां से लाकर रखे थे, वह नहीं बता सकती। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि एफ0आई0आर0 हुई थी, तब कार्टून लाकर रखे थे जिसकी तारीख महीना नहीं बता सकती। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में व्यक्त किया है कि कार्टून में एक-एक बल्फ थे बड़े थे कितने-कितने वॉट के थे, वह नहीं बता सकती। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे आज याद नहीं है कि कार्टूनों से सील तोड़कर बल्फ किसने निकाला था। आगे यह भी व्यक्त किया है कि प्र0पी0 13 की डिटेल वह नहीं बता सकती। यह भी नहीं बता सकती कि कार्टून में से कितने-कितने बल्फ निकाले थे। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में व्यक्त किया है कि और कौन-कौन गवाह था, उसे नहीं मालूम। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा सूचक प्रश्न प्रतिपरीक्षा में

आए तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि इस गवाह के समक्ष सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र०पी० 13 जो खड्डे एवं कार्टून व बल्फ लेकर आए थे, वह कहां से और किस स्थान से लाकर रखे गये थे, उस संबंध में इसे कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से प्र०पी० 13 की सम्पत्ति प्रमाणित नहीं मानी जा सकती।

25— अभियोजन साक्षी सुभाष देशमुख (अ०सा०-12) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वर्ष 1999 से लगातार दो बार नगर पालिका में उपाध्यक्ष के पद पर रहा है, दो वर्ष के लिए नीरज श्रीवास्तव सी०एम०ओ० के पद पर पदस्थ थे। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उसके सामान कोई जांच करवाई नहीं हुई। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की गई थी। आगे गवाह ने स्वतः कहा कि पुलिस ने थाने में बुलवाए थे उन्होंने ने क्या लिखा उसे नहीं मालूम। इस गवाह को शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि दिनांक 17/04/2000 को साधारण बैठक परिषद की हुई थी जिसमें सभी पारिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष सी०एम०ओ० उपस्थित थे जिसमें वर्ष 2001 एवं 2002 के लिए दरें निर्धारण कार्य किया गया।।

26— आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे आज याद नहीं है कि सी०एम०ओ० नीरज श्रीवास्तव, अध्यक्ष राजेश झा ने ई०सी०ई० कंपनी की सामग्री सप्लाई हेतु निविदा जागरण अखबार में विज्ञापन देकर 14/3/2000 को ही पत्र दिया था जो 20/3/2000 को प्रभावित हुआ था। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है जिसमें तीन फारमेंट में निविदा दी थी। आगे गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि बैठक में एम०के० मार्केटिंग नामक कंपनी की दरें की यह बताने पर भी उक्त दरें नगरीय प्रशासन भोपाल से स्वीकृत है। बैठक में न्यूनतम दर बताने पर स्वीकृत की थीं।

27— आगे इस गवाह ने सूचक प्रश्न क कंडिका 4 में व्यक्त किया है कि एक पूर्व नियोजित तरीके से कार्यवाही नीरज श्रीवास्तव सी०एम०ओ० ने एम०के० मार्केटिंग भोपाल से कर परिषद गुमराह कर निविदा बुलाकर उंची दरें तय की गई तथा बिजली सामान खरीदी कर शासकीय धन जो नगर पालिका प्राप्त हुआ था का अपव्यय कर एक नियोजित कमीशन प्रणाली में गबन किया था। जबकि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि जब नगर पालिका में परिषद की मितिंग होती है तो उपस्थित पार्षद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर रजिस्टर में ले लिए जाते हैं। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि दस्तखत करने के बाद कई पार्षद चले जाते हैं। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि कई हस्ताक्षर के नीचे प्रस्ताव लिख लिए जाते हैं। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि जो प्रस्ताव लिए जाते हैं उस प्रस्ताव के नीचे हस्ताक्षर नहीं लिये जाते हैं। इस प्रकार नगर पालिका परिषद में जो प्रस्ताव लिया जाते हैं नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद और नगर पालिका सी०एम०ओ० की उपस्थिति में और उन सभी की सहमति से प्रस्ताव लिए जाते हैं और प्रस्ताव लिए जाने के पश्चात हस्ताक्षर किए जाते हैं।

28— आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि नगर पालिका आमला में हर विभाग के अलग-अलग इन्चार्ज होते हैं। बबन कुम्हारे विधुत विभाग के इन्चार्ज थे। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि जितनी भी विधुत सामग्री खरीदी

जाती थी और आती जाती थी वह उन्ही की देखरेख में रखी जाती थी और उनके द्वारा प्रमाणित होने पर बिल वगैरह आडिट में जाते थे आडिटर से बिल पास होने पर बिल भुगतान होता था। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा किए गए स्वीकृत तथ्य से स्पष्ट होता है कि नगर पालिका आमला में हर विभाग के इन्चार्ज अलग-अलग हैं और उक्त विभाग के कर्मचारी ही उनका आडिट करते हैं और प्रमाणीकरण करते हैं और आडिट होने के पश्चात बिल का भुगतान होता है।

29— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि शासन ने एम0के0 मार्केटिंग भोपाल वालों को संचालक नगरी प्रशासन विधुत सामाग्री नगर पालिका नगर पंचायत को सप्लाई करने के लिए अधिकृत किया था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि एम0के0 मार्केटिंग भोपाल द्वारा भेजी गई प्राईज लिस्ट को अन्य किसी कंपनी की प्राईज लिस्ट से मिलाया नहीं गया था। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे नहीं मालूम की विधुत सामाग्री खरीदने के लिए किस कंपनी के टेंडर बुलाए गए थे। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने नगर पालिका में आयी सामाग्री को नहीं देखा। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि सी0एम0ओ0 की और एम0के0 मार्केटिंग वालों की क्या सुनियोजित योजना थी।

30— आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि सी0एम0ओ0 ने नगर पालिका को किस प्रकार से क्षति पहुँचाई और उसका दुरुपयोग किया। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए स्वीकृत तथ्यों एवं बताए गए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि जो भी सामाग्री एम0के0 मार्केटिंग भोपाल वालों को संचालक नगरी प्रशासन विधुत सामाग्री नगर पालिका नगर पंचायत को सप्लाई करने के लिए शासन ने ही नियुक्त किया था और इस गवाह के द्वारा अभियुक्त नीरज श्रीवास्तव ने जो कि उस समय सी0एम0ओ0 था उसके द्वारा किस प्रकार से नगर पालिका को क्षति पहुँचाई या राशि का गबन किया, इस गवाह को कोई जानकारी नहीं है।

31— जबकि यह गवाह वर्ष 1999 से लगातार दो बार उपाध्यक्ष के पद पर पदस्थ रहा है और इस गवाह की मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त शासकीय सम्पत्ति में न्यस्त था और उसके द्वारा उक्त सम्पत्ति में न्यस्त रहते हुये कूट रचना की और उक्त राशि को सदोष लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज तैयार किए और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर एक लोक सेवक होते हुये सीमा कंपनी के वैपर बल्फ नहीं है मिथ्य सम्पत्ति चिन्ह अंकित है, का उपयोग असल के रूप में कपट करने के आशय से लिया और मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर रहते हुए अन्य आरोपीगण द्वारा विक्रय की गई सम्पत्ति सीमा कंपनी की नहीं है छद्मदम कंपनी की है उसके द्वारा सम्पत्ति चिन्ह के कूटरचना कर उपयोग में लाए।

32— अभियोजन साक्षी मोहम्मद सफी खान (अ0सा0-13) ने उक्त गवाह के साक्ष्य की तरह अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है, जबकि यह गवाह घटना के समय नगर पालिका में पार्षद के पद पर पदस्थ रहा है।

33— अभियोजन साक्षी महेश सोनी (अ०सा०-14) ने अपनी मुख्यपरीक्षा में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उसके सामने कोई जांच कार्यवाही नहीं हुई थी पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि पुलिस ने थाने में बुलाए थे लेकिन उन्होंने क्या लिखा उसे नहीं मालूम। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में स्वीकार किया है कि उसे इस प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं होता है।

34— अभियोजन साक्षी बहीद खान (अ०सा०-15), अभियोजन साक्षी सतीष नरवरे (अ०सा०-16), अभियोजन साक्षी बबन कुम्हारे (अ०सा०-17), ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

35— अभियोजन साक्षी राजेश झा (अ०सा०-18) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि नीरज श्रीवास्तव वर्ष 1999 से 2000 तक नगर पालिका आमला में सी०एम०ओ० के पद पर पदस्थ था। उसी दौरान वह अध्यक्ष के पद पर पदस्थ था। उसके पूर्व के अध्यक्ष सतीष नरवरे के समय कोई लाईट खरीदी का प्रकरण था जिसके बारे में उसे अधिक जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसे बुलाकर कहीं हस्ताक्षर लिये थे। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान नहीं लिये थे। प्र०पी० 11 एवं 12 की चेक की छायाप्रति पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सूचक प्रश्नों में प्र०पी० 11 एवं 12 की सामग्री उसके समक्ष पाया जाना अस्वीकार किया है और प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि प्रस्ताव सभी पाषदों की सहमति से पास होता है। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि परिषद आमला में तीन कंपनियों के विधुत सामग्री सप्लाई करने के तीन टेंडर आए थे जिसमें एम०के० मार्केटिंग का सबसे कम रेट था जिन्हें प्रस्ताव के अनुसार नियमानुसार मा सप्लाई करने के आदेश दे दिए गए थे। आदेश परिषद ने दिया था जिसमें अध्यक्ष और सचिव का कोई अलग से कार्य नहीं होता। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि विधुत सामग्री जो भी आई थी वह कंपनी के गेट पास के साथ आई थी। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि गेट पास के आधार पर विधुत सामग्री स्टोर कीपर सुनिल जैन एवं विधुत प्रभारी बबन कुम्हारे ने माल चेक करके गोडाउन में लिया था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि सारी सामग्री ई०सी०ई० कंपनी की थी। उसने भी सामग्री देखी थी। उसमें कोई सीमा कंपनी की सील नहीं थी। सिर्फ ई०सी०ई० कंपनी की सील लगी थी।

36— आगे इस गवाह ने स्वीकार किया कि विधुत सामग्री के स्टोर कीपर विधुत प्रभारी की रिपोर्ट व बिल के साथ आडिटर के पास जाता है जिसकी आडिटर रिपोर्ट आने के बाद भुगतान किया जाता है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में स्वीकार किया है कि नगर पालिका के द्वारा 25 हजार रुपये से अधिक राशि का भुगतान किया जाता है तो उसके चेक पर नगरपालिका अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के दोनों के हस्ताक्षर होते हैं। उन लोगों के हस्ताक्षर करने के पूर्व इस बात की जांच कर लेते हैं कि सब चीजें नियमानुसार आई हैं या नहीं आई हैं, सतुष्ट होने के बाद हस्ताक्षर करते हैं। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसका और उसके सी०एम०ओ० नीरज श्रीवास्तव का विधुत सामग्री खरीदने में

एम०के० मार्केटिंग भोपाल वालों से कोई संपर्क नहीं था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 9 में स्वीकार किया है कि नगर पालिका आमला में ऐसा कोई साधन नहीं है कि विधुत सामाग्री पर किसी कंपनी की सील लगाई जाती है। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि विधुत सामाग्री में नगर पालिका की ओर से कोई खरीदी में गड़बड़ी नहीं की गई है अगर कोई गड़बड़ी है तो वह एम०के० मार्केटिंग भोपाल द्वारा की गई है। इस प्रकार इस गवाह के मुख्यपरीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि सी०एम०ओ० आमला नीरज श्रीवास्तव के द्वारा किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं की गई है और जो भी कार्यवाही की गई है वह नियमानुसार की गई है।

37— अभियोजन साक्षी सुनिल कुमार जैन (अ०सा०19) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि जप्ती पत्रक प्र०पी० 1, प्र०पी० 3 में उसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। किन्तु इस गवाह ने सूचक प्रश्नों की कंडिका 2 में अस्वीकार किया है कि सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र०पी० 1 की सम्पत्तियाँ उसके सामने पुलिस ने एक रजिस्टर जिसमें नगर पालिका आमला म०प्र० लिखा है सामग्री एवं भंडार के रजिस्टर के प्रारूप 97 नियम 156 में कं 1 से 13 तक प्रिंट है, पृष्ठ संख्या 1 से 100 तक 2000 से 2001 विधुत भंडार पंजी है जिसमें पृष्ठ 7 व 58 पर सोडियम वैपर लैम्प 250 एवं 150 वॉट की दर्ज है, का जप्त किया था। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र०पी० 3 की सम्पत्ति की जप्ती उसके समक्ष बनाई गई थी। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है साक्षी को प्र०पी० 1 एवं 3 की सम्पत्ति दिखाये जाने पर साक्षी ने कहा कि उससे ऐसी कोई सम्पत्ति पुलिस ने जप्त नहीं की थी। आगे इस गवाह ने सूचक प्रश्न की कंडिका 4 में अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्र०पी० 21 के ए से ए भाग का बयान दिया था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि प्र०पी० 1 एवं प्र०पी० 3 में क्या लिखा है उसे जानकारी नहीं है। प्र०पी० 3 के दस्तोवज पढकर नहीं सुनाए है न उसने पढा है। इस प्रकार इस गवाह ने प्र०पी० 1, प्र०पी० 3 की सम्पत्ति जप्ती का समर्थन नहीं किया है।

38— अभियोजन साक्षी मनोज मालवे (अ०सा०20) ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

39— अभियोजन साक्षी दाउराम महेश्वर (अ०सा०21) का कहना है कि दिनांक 06.08.2000 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील आमला के भ्रमण पर आये हुए थे उसी दिन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुलताई के द्वारा उसे मौखिक आदेश दिया गया की कलेक्टर बैतूल के द्वारा उन्हें उस बात की जानकारी दी गई है कि जिले के विभिन्न नगरपालिकाओं में स्ट्रीट लाईट में कुछ शंकाप्रद चीजें प्राप्त होने की जानकारी मिली है, उन्हें आमला भ्रमण के दौरान नगर पालिका आमला के गोडाउन में इस प्रकार के स्ट्रीटलाईट अगर हो तो जांच की जावे। उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुलताई के मौखिक आदेश पर दिनांक 06.08.2000 को मुख्य नगरपालिका अधिकारी नीरज श्रीवास्तव तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ईश्वरसिंह तत्कालीन आमला पटवारी श्री पण्डोले एवं उपयंत्री की उपस्थिति में नगर पालिका के स्टोर रूम में जांच की गई, इस जांच के समय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भी उपस्थित थे, यदपि पंचनामा में उनके हस्ताक्षर नहीं हैं गोडाउन में सोडियम बल्ब 100—150 बोल्ट के एवं 150 बोल्ट

के 97 बल्फ (स्ट्रीटलाईट) के जप्त किये थे, इन बल्फों में ई०सी०ई० के साथ सीमा कम्पनी के भी सील लगे थे। अर्थात् एक ही बल्फ में दो-दो कम्पनियों के सील लगाना पाया गया था। तीन बल्फ 150 बोल्ट के पोल में लग जाना भी मुख्य नगर पालिका ने बताया था पंचनामा के फोटो कॉपी प्रकरण में संलग्न है। दिनांक 28.08.2000 को पुलिस थाना आमला में उससे उसके द्वारा अभिरक्षा में सौंपे गये बल्फो विधिवत् जप्त किया था जिसका जप्ती पत्रक प्र०पी०-13 है जिसके बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

40— जबकि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में व्यक्त किया है कि पंचनामा उसने जो बनाया उसके बाद के प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि जो पंचनामा के संबंध में उसने बयान दिया है, थाना प्रभारी जो प्रकरण लिखा है जो वायरलेस उसकी तीनों की मूल कहां है उसे नहीं मालूम। आगे यह भी स्वीकार किया है कि प्र०पी० 13 में क्या लिखा है उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। आगे यह भी स्वीकार किया है कि प्र०पी० 13 में उल्लेखित प्रत्येक वस्तु को उसके सामने सील नहीं किया गया है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि सील बंद डिब्बों को खोलकर उसके सामने बल्फ और पिक्चर नहीं देखी। आगे यह भी स्वीकार किया है कि प्र०पी० 13 में कितने बल्फो पर सील नहीं लगी होना पाया है। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके सामने नगर पालिका आमला के गोडाउन से सीलबंद डब्बे जप्त नहीं किए गए। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे आज याद नहीं आ रहा है कि बल्फों के जो कार्टून थे उन पर ई०सी०ई० लिखा था या नहीं। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि बल्फ जो निकाले गए वह वैपर थे। उसे यह भी याद नहीं है कि उस वेपर पर ई०सी०ई० लिखा था। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 में व्यक्त किया है कि उसकी जानकारी में नहीं है कि नगर पालिका आमला में बल्फो पर सील लगाने की कोई तकनीकी विधि है या नहीं। नगर पालिका आमला के गोडाउन में विधुत सामाग्री कहां से आई थी, उसे जानकारी नहीं है।

41— इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए स्वीकृत तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति कहां से आई इसे कोई जानकारी नहीं है या जो बल्फो के कार्टून थे उनमें ई०सी०ई० लिखा था या नहीं, यह भी जानकारी नहीं है। उक्त कार्टून किसके द्वारा नगर पालिका में रखा गया, इस संबंध में इस गवाहा को कोई जानकारी नहीं है। साथ ही क्या वह जो बल्फो के जो कार्टून थे उनके अंदर रखे हुये बल्फो में दो सील लगी थी और वह सील अभियुक्त के द्वारा ही लगाई गई, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने पंचनामा बनाया है उस पर हस्ताक्षर भी नहीं किए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में प्र०पी० 13 का पंचनामा विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

42— प्रकरण में जप्त की गई सम्पत्ति या सील बंद डिब्बे ई०सी०ई० कंपनी के थे या अन्य कंपनी के थे इस गवाह को जानकारी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह की साक्ष्य से यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त नीरज श्रीवास्तव के द्वारा शासकीय सम्पत्ति में न्यस्त था और उसके द्वारा उक्त सम्पत्ति में न्यस्त रहते हुये कूटरचना की और उक्त राशि को सदोष लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज

तैयार किए और मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर एक लोक सेवक होते हुये सीमा कंपनी के वैपर बल्फ नहीं है मिथ्य सम्पत्ति चिन्ह अंकित है, का उपयोग असल के रूप में कपट करने के आशय से लिया और मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर रहते हुए अन्य आरोपीगण द्वारा विक्रय की गई सम्पत्ति सीमा कंपनी की नहीं है, छद्म कंपनी की है उसके द्वारा सम्पत्ति चिन्ह के कूटरचना कर उपयोग में लाए।

43— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त नीरज श्रीवास्तव के द्वारा शासकीय सम्पत्ति में न्यस्त था और उसके द्वारा उक्त सम्पत्ति में न्यस्त रहते हुये कूट रचना की और उक्त राशि को सदोष लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज तैयार किए और मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर एक लोक सेवक होते हुये सीमा कंपनी के वैपर बल्फ नहीं है मिथ्य सम्पत्ति चिन्ह अंकित है, का उपयोग असल के रूप में कपट करने के आशय से लिया और मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर रहते हुए अन्य आरोपीगण द्वारा विक्रय की गई सम्पत्ति सीमा कंपनी की नहीं है, छद्म कंपनी की है उसके द्वारा सम्पत्ति चिन्ह के कूटरचना कर उपयोग में लाए। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 1 से 4 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं. 5 का निराकरण

44— विचारणीय प्रश्न कं 1 से लेकर 4 से यह स्पष्ट हो चुका है कि अभियुक्त के द्वारा अभियुक्त नीरज श्रीवास्तव के द्वारा शासकीय सम्पत्ति में न्यस्त था और उसके द्वारा उक्त सम्पत्ति में न्यस्त रहते हुये कूट रचना की और उक्त राशि को सदोष लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज तैयार किए और मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर एक लोक सेवक होते हुये सीमा कंपनी के वैपर बल्फ नहीं है मिथ्य सम्पत्ति चिन्ह अंकित है, का उपयोग असल के रूप में कपट करने के आशय से लिया और मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर रहते हुए अन्य आरोपीगण द्वारा विक्रय की गई सम्पत्ति सीमा कंपनी की नहीं है, छद्म कंपनी की है उसके द्वारा सम्पत्ति चिन्ह के कूटरचना कर उपयोग में लाए। इस प्रकार ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 409,420, 482,483 का अपराध प्रमाणित न पाए जाने से अभियुक्त का भा0द0वि0 की धारा 120 "बी" का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 5 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

45— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर लोक सेवक होते हुये कारोबार के अनुक्रम में प्रकाश व्यवस्था हेतु अपने में न्यस्त राशि का छद्म नाम की कंपनी सीमा के वेपर लेम्प खरीदकर बेईमानी पूर्वक किये षडयंत्र की पूर्ति में उक्त राशि का दुरुपयोग कर लिया, जो अपने उपयोग में समपरिवर्तित कर लिया तथा नगर पालिका की ओर से विधि अनुसार अपने द्वारा वेपर लेम्प खरीदी की संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी पूर्वक उक्त राशि का उपयोग व्ययन किया, जानबूझकर अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा करना सहन किया। अभियोजन पक्ष के द्वारा

प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त मुख्य नगरपालिका आमला के पद पर लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुये परिषद की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार निर्धारित कंपनी ई०सी०ई० की विधुत सामग्री के अलावा छद्दम नाम सीमा कंपनी के वैपर लैम्प खरीदने की षडयंत्र की पूर्ति में करीब 10 लाख या संबंधित राशि के चैक का भुगतान बेईमानी पूर्वक अन्य आरोपी को सदोष लाभ पहुँचाने के लिए दर्शित कर फर्जी दस्तावेज तैयार किये।

46— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त नगर पालिका आमला के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर लोक सेवक होते हुये कार्य करते समय वैपर लैम्प छद्दम नाम की कंपनी के खरीदने के आशय से आपूर्ति में जानते हुये कि सीमा कंपनी के वैपर लैम्प नहीं है, मिथ्या संपत्ति चिन्ह अंकित है, का उपयोग असल के रूप में कपट करने के आशय से लिया। अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी के लोक सेवक पद पर कार्य करते हुये यह जानते हुये कि अन्य आरोपीगण द्वारा विक्रय की गयी संपत्ति सीमा कंपनी की नहीं है, छद्दम कंपनी की है उनकेद्वारा संपत्ति चिन्ह के कूटकरण कर उपयोग में लाये।

47— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी लोक सेवक के पद पर कार्य करते हुये प्रकाश व्यवस्था हेतु वैपर छद्दम नामक कंपनी के खरीदने का अवैध कार्य की अवैध साधनों से संपत्ति चिन्ह के कूटकृत्य संपत्ति को उपयोग में लाने अपने में न्यस्त नगर पालिका की धनराशि का बेईमानी पूर्वक दुरुविनियोग करने हेतु छद्दम कंपनी के वैपर लैम्प खरीदने की सहमति अन्य आरोपी के साथ में मिलकर बनायी और उक्त कार्य अवैध साधनों द्वारा किया। इस प्रकार अभियुक्त नीरज श्रीवास्तव को भा०द०वि० की धारा-409,420,482,483, 120“बी” 34 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

48— प्रकरण में अभियुक्त नीरज श्रीवास्तव का द०प्र०सं० की धारा 428 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के जमानत मूचलके भारमुक्त किए गए।

49— प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है क्योंकि प्रकरण में आदेश पत्रिका दिनांक 26/12/02 को अभियुक्त भगवानदास एवं चंदूमल के विरुद्ध द०प्र०स० की धारा 299 के अंतर्गत फरार घोषित किया गया है।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल, म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
आमला, जिला बैतूल, म०प्र०

